मध्य प्रदेश शासन
गृह (सामान्य) विभाग
<u>मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल</u>

क्रमांक एफ 31–33 / 2006 / दो–ए(3)　　　　　　　　भोपाल, दिनांक 17 / 08 / 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर्स,
समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी
मध्यप्रदेश।

विषय :– द्वितीय विश्वयुद्ध के भूतपूर्व सैनिकों / विधवाओं को आर्थिक सहायता
संदर्भ :– इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 31–9 / 91 / दो –ए (3) दिनांक 17 / 02 / 1997, क्रमांक एफ 31–9 / 91 / दो– ए (3) दिनांक 09 / 11 / 1998 एवं आदेश क्रमांक एफ 31–33 / 2006 दो–ए(3)दिनांक 26 / 09 / 2012

——00——

इस विभाग के संदर्भित आदेश दिनांक 26 / 09 / 2012 के द्वारा द्वितीय विश्वयुद्ध के भूतपूर्व सैनिकों / विधवाओं को जीवन–यापन करने के लिये स्वीकृत पेंशन राशि रूपये 3000 / –(रूपये तीन हजार) प्रतिमाह की दर से स्वीकृत की गई थी।

2 / – राज्य शासन एतद् व्दारा उक्त आदेश दिनांक 26 / 09 / 2012 मे आंशिक संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश के द्वितीय विश्वयुद्ध के भूतपूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं को जीवन–यापन करने के लिये स्वीकृत पेंशन राशि रूपये 3000 / – (रूपये तीन हजार) प्रतिमाह को बढ़ाकर रूपये 4000 / – (रूपये चार हजार) प्रतिमाह किये जाने की स्वीकृति, आदेश जारी होने की दिनांक से प्रदान करता है।

3 / – स्वीकृति की शर्तें संदर्भित आदेश दिनांक 17 / 02 / 1997 एवं दिनांक 09 / 11 / 1998 के अनुसार रहेंगी।

4 / – यह स्वीकृति आदेश, वित्त विभाग के यू0ओ0 क्रमांक– 861 / सीआर –894 / 2015 / ब–8 / चार दिनांक 13 / 08 / 2015 द्वारा दी गई सहमति के अनुसरण में जारी किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(बी. आर. सुनहरे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, गृह(सामान्य) विभाग

पृष्ठा क्रमांकएफ 31–33/2006/दो–ए(3) भोपाल, दिनांक 17/08/2015

प्रतिलिपिः–

1– सचिव, भारत सरकार, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
2– महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
3– अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की ओर उनके यू0 ओ0 कमांक– 861/सीआर.– 894/2015/ ब–8/ चार दिनांक 13/08/2015 के संदर्भ में।
4– प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
5– प्रमुख सचिव,(समन्वय) मुख्य सचिव, कार्यालय मंत्रालय भोपाल।
6. राज्यपाल के सचिव, राज्यपाल सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
7– आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश भोपाल।
8– निज सचिव, मान मंत्रीजी गृह विभाग भोपाल।
9– संचालक, सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश भोपाल ।
10– समस्त जिला कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

11– फोल्डर फाईल।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, गृह(सामान्य) विभाग